

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

मि  
दि  
52 के  
र  
र  
491  
633/3

26-3-20

पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित हैं। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते हैं। अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषणगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 19.03.20 को पेश हों। कोटि-19

10-6-20

पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित हैं। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते हैं। अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषणगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 19.06.20 को पेश हों। कोटि-19

19-8-20

पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित हैं। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते हैं। अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषणगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 14.10.20 को पेश हो। कोटि-19

14-10-20

पत्रावली पेश हुई कमील वारी उपस्थित कमील वारी की ओर से 100 डिग्रियों में नोन अधिस्थिति पर स्थगन पेश किया गया। वास्तव में अतिथि बनाये जाने आदिपत्र पत्रावली 28-10-2020 को पेश हो।

28-10-20

पत्रावली पेश हुई कमील वारी उपस्थित। कठोर कार्यवाही रिपोर्ट पूर्ण में ही प्राप्त हो चुकी पूर्ण पेशी पर स्थगन पेश किया। मुताबिक कठोर कार्यवाही तदुपरोक्त इन्डगठ के शासक गुहारा की खाता नं. 179 नया व पुराना 74 में बाबत आराजी



नाम  
अधिकारी  
हुकम जारी  
में जारी हुए

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज


नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए

ये से वादीगण पुत्रु हिस्सा 4/2 शिचेरगोम  
हिस्सा 4/2 पिता धूलु जारु शाली शक्ति  
देह के हिस्से में ख.न. 452/2 रुका 0.20  
ख.न. 491/3 रुका 0.25 एथर ख.न.  
633/3 शिता-3 शेत्र रुका 0.78 एथर  
कृषि शाली रहेगी। शक्ति बादशूर रहे  
जमावदी रहेगी।

शेष रही कृषि शाली ख.न. / रुका  
452/2 453 458 491/1 492  
0.64 ए. 1.35 ए. 1.54 0.27 ए. 0.40 ए.  
519 633/2 640 641 680 751  
1.40 2.25 ए. 0.39 0.29 0.04 ए. 0.05 एथर

कुल लक्षय शिता-11 शेत्र रुका 8.62 एथर  
में प्रादेवदीगण मोहनलाल हिस्सा 3/792, दुलीच  
का हिस्सा 3/792, प्रकाय का हिस्सा 3/792,  
जगदीश हिस्सा 3/792 विरयन नन्दा अठादीका  
पाली नन्दा का हिस्सा 3/792 रहेगा ज्यानापुरी  
नन्दा हिस्सा 3/792 रहेगा। तथा कही का हिस्सा  
3/132 मोडूका हिस्सा 3/132 पिता हील्य उर्फ  
डेवीराम कमला का हिस्सा 3/132, बदाम का हिस्सा 3/132  
शेसर हिस्सा 3/132 पुनिथ हील्य उर्फ डेवीराम  
रहेगा। कस्तूर हिस्सा 3/66 पिता धूलु, कन्याका  
का हिस्सा 3/110, केलामी हिस्सा 3/110 प्रेम हिस्सा 3/110  
पुनिथ केसय का रहेगा, बिथम गोपाल का हिस्सा 3/44  
पुन हीरा, रहनी 3/44, कमला का हिस्सा 3/22  
भैरुलाल का हिस्सा 3/22 रहेगा।

तदनुसार आनिम डिडी जारी  
की गई पन्नावली पन्नावली लिखी शाली  
की गई शेष कोई कार्यवाही नहीं होने से  
पन्नावली किरल शुमार होकर कस वकमील  
दाखिल पत्र हो

  
उपसुण्ड अधिकारी  
नाचरी (बुनी)

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बून्दी)

वाद संख्या 67/2016

पीठासीन अधिकारी

दायरा दिनांक :- 11.08.2016

गोरधनलाल मीना (RAS)


## बचनवान

1. राधेश्याम आत्मज धूलीलाल जाति माली निवासी ग्राम गुहाटा हाल निवास गणेशपुरा लाखेरी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.)
2. प्रभू आत्मज धूलीलाल जाति माली निवासी ग्राम गुहाटा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.)

- वादी -

## बनाम

1. कस्तूरा आत्मज धूलीलाल जाति माली निवासी ग्राम गुहाटा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.)
2. मोहन आत्मज नन्दा जाति माली निवासी ग्राम गुहाटा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.)
3. प्रकाश आत्मज नन्दा जाति माली निवासी ग्राम गुहाटा हाल निवासी गणेशपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.)
4. दूलीचन्द आत्मज नन्दा जाति माली निवासी पानी की टंकी के पास गणेशपुरा लाखेरी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.)
5. मोडू आत्मज छीत्या जाति माली निवासी ग्राम गुहाटा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.)
6. बद्री आत्मज छीत्या जाति माली निवासी ग्राम गुहाटा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.)
7. कमला पुत्री छीत्या पत्नी घांसी जाति माली निवासी कोटडी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.)
8. सोसर पुत्री छीत्या पत्नी रामकिशन जाति माली निवासी गेता तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.)
9. कन्याबाई पुत्री केसरा पत्नी हीरालाल जाति माली निवासी ग्राम गुहाटा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.)
10. मांगीबाई पुत्री केसरा पत्नी कल्याण जाति माली निवासी ग्राम पीपल्दा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.)
11. केलाशी पुत्री केसरा पत्नी गोकूल जाति माली निवासी ग्राम गुहाटा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.)
12. मनभर पुत्री केसरा पत्नी देवा जाति माली निवासी जाडला तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.)
13. प्रेम पुत्री केसरा पत्नी घनश्याम जाति माली निवासी अनघोरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.)
14. भैरूलाल आत्मज मोत्या जाति माली निवासी इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा



उपखण्ड अधिकारी  
लाखेरी जिला बून्दी

15. कमला पुत्री गाधो पत्नी छाटू जाति माली निवासी गेता तहसील पीपल्दा जिला कोटा
16. रतन आत्मज हीरा जाति माली निवासी ग्राम गुहाटा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.)
17. किशनगोपाल आत्मज हीरा जाति माली निवासी ग्राम गुहाटा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.)
18. बैंक ऑफ बडौदा जर्गे शाखा प्रबंधक शाखा लवान तहसील इन्द्रगढ
19. बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जर्गे शाखा प्रबंधक शाखा कापरेन जिला बून्दी
20. राजस्थान सरकार जर्गे तहसीलदार इन्द्रगढ जिला बून्दी।

– प्रतिवादीगण –


वाद अन्तर्गत धारा 53,188 आर.टी.एक्ट  
बटवारा कृषि भूमि एवं स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक :- 20.06.2019

वादी ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,188 आर.टी.एक्ट में प्रस्तुत कर कथन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 17 के सहखातेदार एवं संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 452 रकबा 0.84 हैक्टर, खसरा संख्या 453 रकबा 1.35 हैक्टर, खसरा संख्या 458 रकबा 1.54 हैक्टर, खसरा संख्या 491 रकबा 0.52 हैक्टर, खसरा संख्या 492 रकबा 0.40 हैक्टर, खसरा संख्या 619 रकबा 1.40 हैक्टर, खसरा संख्या 633 रकबा 2.58 हैक्टर, खसरा संख्या 640 रकबा 0.39 हैक्टर, खसरा संख्या 641 रकबा 0.29 हैक्टर, खसरा संख्या 680 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा संख्या 751 रकबा 0.05 हैक्टर कुल कित्ता 11 कुल रकबा 9.40 हैक्टर वाके ग्राम गुहाटा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज0) मे स्थित है।

वाद विषयक आराजी में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 1/9, प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 8 का हिस्सा 1/9, प्रतिवादी संख्या 9 लगायत 13 का हिस्सा 1/9, प्रतिवादी संख्या 14 का हिस्सा 1/9, प्रतिवादी संख्या 15 का हिस्सा 1/9, प्रतिवादी संख्या 16 लगायत 17 का हिस्सा 1/3 राजस्व रिकार्ड के अनुसार निहित है ओर हिस्से अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 17 संयुक्त रूप से काबिज काश्त चलें आ रहे है। वादीगण का नाम वाद विषयक आराजी के राजस्व रिकार्ड में बतौर सहखातेदार दर्ज होने के कारण वादीगण को कृषि विकास कार्य हेतु वित्तीय संस्थाओ बैंक आदि से कृषि ऋण लेने व लगान पिलाई जमा कराने में अत्यधिक समस्या होने के कारण वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 17 से वाद विषयक आराजी का विधिवत बटवारा कराने का मौखिक रूप से निवेदन करते रहे। लेकिन प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 17 ने वादीगण के निवेदन पर कोई ध्यान नही दिया गया। वादीगण ने अन्तिम बार जून सन 2016 के अन्तिम सप्ताह में वाद विषयक आराजी का विधिवत रूप से बटवारा कराने का मौखिक रूप से निवेदन किया गया तो प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 17 ने वादीगण से बटवारा करने से मना कर दिया गया। यही वाद कारण है जो नियमित रूप से पैदा हो रहा है। वादीगण को वैधानिक अधिकार प्राप्त है कि वाद विषयक आराजी के राजस्व रिकार्ड में निहित वादीगण का हिस्सा का विधिवत बटवारा कराने बाबत भूमिधारी

  
उपखण्ड अधिकारी  
लाखेरी जिला बून्दी

तहसीलदार इन्द्रगढ को बतौर आवश्यक पक्षकार बनाकर माननीय न्यायालय में प्रतिवादीगण के विरुद्ध वाद पत्र प्रस्तुत करें। जबकि प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 17 को बटवारा कराने से गना करने का वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है।

वादीगण का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ज सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 3 लगायत 7, 9, 10 लगायत 13 व 16 लगायत 20 बाद तामिल सम्मन अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध दिनांक 01.02.2017 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 2 बाद तामिल दिनांक 04.05.2017 एवं प्रतिवादी संख्या 8, 10, 14, 15 बाद तामिल रजिस्टर्ड सम्मन दिनांक 02.01.2019 को अनुपस्थित एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।


वादीगण ने अपने वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 प्रदर्श 1, नक्शा ट्रेस प्रदर्श 2, नकल खसरा गिरदावरी प्रदर्श 3, पेश किये हैं। गौखिक साक्ष्य में वादी संख्या 1 स्वयं का शपथ पत्र पेश किया है।

वादीगण के अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी। वादीगण के अधिवक्ता ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों का दौहराते हुये कथन किया कि वाद विषयक आराजी में निहित वादीगण का हिस्से का निर्धारण करते हुये वादीगण के हिस्से में आने वाली कृषि भूमि का विधिवत बटवारा किया जाकर पृथक से खाता कायम किया जावे।

वादीगण के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्श 1 जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण वाद वर्णित आराजी में सहखातेदार के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। सहखातेदारों को बटवारा कराने का विधिवत अधिकार प्राप्त होने से वादीगण का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री किया जाता है। कृषि भूमि खसरा संख्या 452 रकबा 0.84 हैक्टर, खसरा संख्या 453 रकबा 1.35 हैक्टर, खसरा संख्या 458 रकबा 1.54 हैक्टर, खसरा संख्या 491 रकबा 0.52 हैक्टर, खसरा संख्या 492 रकबा 0.40 हैक्टर, खसरा संख्या 619 रकबा 1.40 हैक्टर, खसरा संख्या 633 रकबा 2.58 हैक्टर, खसरा संख्या 640 रकबा 0.39 हैक्टर, खसरा संख्या 641 रकबा 0.29 हैक्टर, खसरा संख्या 680 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा संख्या 751 रकबा 0.05 हैक्टर कुल किता 11 कुल रकबा 9.40 हैक्टर वाके ग्राग गुहाटा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी में निहित वादीगण के हिस्से का निर्धारण करते हुये विधिवत बटवारा किये जाने हेतु तहसीलदार इन्द्रगढ को बटवारा कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। तथा आदेश दिये जाते हैं कि वह पक्षकारान को तलब कर पक्षकारान की उपस्थिति में राजस्व गण्डल बटवारा नियम (18 से 21) व धारा 53 आर.टी.एक्ट. के प्रावधानों को मध्यनजर रखते हुये एवं रास्ते का निर्धारण करते हुये प्राथमिक बटवारा कर पालना रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस में दर्शाते हुये दिनांक 07.08.2019 से पूर्व न्यायालय में पेश करें। बटवारा कमिश्नर फीस 200 रु निर्धारित की जाती है जो वक्त बटवारा वादी द्वारा अदा की जावेगी। तदनानुसार प्राथमिक पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय दिनांक 20.06.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी  
लाखरी (बून्दी)

प्रा० डिगरी ब मुकदमें इबतदाई

(O 20, Rr 6,7)

(civil Procedure Code, Appendix D)

अज अदालत उपरखण्ड अधिकारी मुकाम लाखेरी  
 व इजलास श्री गोरदनलाल मीना R-A-S.

1 राधेश्याम अय्यज धूलीलाल बनाम कस्तुरा अय्यज धूलीलाल जाती माली  
जाती माली निवासी ग्राम निवासी गुहाटा तहसील इन्द्रगढ़  
गुहाटा हाल लाखेरी कोट  
 डिग्री तहसील इन्द्रगढ़ (वादीगण) उपरखण्ड PT-0

मुकदमा नम्बर 67/21वाणी I दावा बाबत 53,188 RGA सन .....

यह मुकदमा अज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रुबरे व हाजिरी  
श्री सुरेश चव्वा मिनजानिब मुद्दई रुबरु .....

मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि  
वादीगण का वाद स्वीकार कर प्रथमग्रेड डिग्री स्थित था है कर्मभूमि ख.स. 452 रुका  
0.84 ई. नव.न. 453 रुका 1.35 ई. ख.स. 458 रुका 1.54 ई. ख.स. 491 रुका 0.52 ई.  
ख.स. 492 रुका 0.40 ई. ख.स. 619 रुका 1.40 ई. ख.स. 633 रुका 2.58 ई.  
ख.स. 640 रुका 0.39 ई. ख.स. 641 रुका रुका 0.29 ई. ख.न. 680 रुका 0.04 ई.  
ख.स. 751 रुका 0.05 ई. कुल डिग्री-11 गेज रुका 9.40 ई. वडे ग्राम गुहाटा  
तहसील इन्द्रगढ़ में निहित वादीगण के हिस्से का निर्धारण करते हुए विधिबद्ध बख्वाय  
क्रिये जाने के पूर्व तहसीलदार इन्द्रगढ़ को बख्वाय कमिश्नर नियुक्त किया जाता है

निज मुबलिग बाबत खर्चा इन P-T 0  
 मुकदमें के मध्य सूद बशरह फीसदी सालाना आज की तारीख प्रत्येक  
 से तारीख अदायगी तक का अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 20-6-19 माह .....


सन को जारी की गई।  
 मुहर ओहदा

उपरखण्ड अधिकारी  
लाखेरी जिला रुन्दी

मुद्दई	रुपया	पैसे	मुदायलह	रुपया	पैसे
1. स्टाम्प अर्जीदावा			1. स्टाम्प अर्जीदावा		
2. स्टाम्प वकालतनामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. स्टाम्प वजह सबूत			3. महन्ताना वकील		
4. महन्ताना वकील			4. खर्चा गवाहोंन		
5. खर्चा गवाहोंन			5. फीस कमिश्नर		
6. फीस कमिश्नर			6. बाबत इजराय हुकमनामा		
7. बाबत इजराय हुकमनामा			7. मुत्तफरिक		
मीजान			मीजान		


नोट :- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये ...

तथा आदेश दिये जाते हैं कि वह पक्षकार को तत्पश्चात् पक्षकार को उपस्थित करके शजस्य मण्डल बटवारा नियम (18से 21) व धारा 53 अधिनियम के प्रावधानों को मध्य नजर रखते हुए एच एच शस्त्रे का निर्धारण करते हुए प्राथमिक बटवारा कर वालना रिपोर्ट मध्य नम्या ट्रेड दिनांक 7-8-2019 से पूर्व न्यायालय में पेश करें। बटवारा का प्रैरनर फीस 200/- रुपये निर्धारित की जाती है। जो वक्त बटवारा वादीगण द्वारा अदा की जायेगी।

  
 उपखण्ड अधिकारी  
 लाखेरी जिला बूंदी

2. प्रभु आत्मज धूलीलाल जारि माली निवासी ग्राम गुहाय तहसील इन्द्रगढ़  
 बनाय

1. मोहन आत्मज नन्दा जारि माली निवासी गुहाय तहसील इन्द्रगढ़
3. प्रकाश आत्मज नन्दा
4. दुली चन्द आत्मज नन्दा
5. मोटू आत्मज हीरा जारि माली निवासी गुहाय तहसील इन्द्रगढ़
6. बद्री आत्मज हीरा
7. कमला पुत्री हीरा जारि माली
8. सोरठ पुत्री हीरा
9. कन्याबाई पुत्री केशव जारि माली निवासी गुहाय तहसील इन्द्रगढ़
10. मानीबाई पुत्री केशव
11. कैलाशी पुत्री केशव
12. मनमर पुत्री केशव
13. प्रेम पुत्री केशव
14. रमेश लाल आत्मज मोत्या जारि माली निवासी इराया तहसील पीपल्दा
15. कमला पुत्री भादो जारि माली निवासी - गैरा
16. रतन आत्मज हीरा जारि माली निवासी गुहाय तहसील इन्द्रगढ़
17. विश्व गोपाल आत्मज हीरा जारि माली
18. लैठ काक नईदा शम्भू लाल
19. नईदा राजधान शशीष बिकु शम्भू कापरेन
21. राजेश लाल जारि तहसील इन्द्रगढ़ जिला बूंदी

  
 उपखण्ड अधिकारी  
 लाखेरी जिला बूंदी

100% कपडे का पेन जूटिरील सामग्री  
संलग्न है।

### आश्रम डिगरी ब मुकदमें इबतदाई

(O 20, Rr 6,7)

(civil Procedure Code, Appendix D)

अज अदालत उपरखण्ड आदीकारी मुकाम भारखेरी  
 व इजलास श्री प्रमोद कुमार (P.A.S.)  
 1. राधेश्याम झा बनाम 2. कन्हैया आलमज चौलीलाल जारि-भाभी  
माली रत्ने वासी- ग्राम गुहाय निवासी- ग्राम गुहाय तहसील इन्द्रगढ़  
हाल निवास भारखेरी तहसील जि. एच. प्रमोद कुमार कर्मा:  
इन्द्रगढ़-सुन्दी पारिवारिक P.T.D.

चादीशा  
 मुकदमा नम्बर 67/570/116 दावा बाबत 53,188 R.T.R सन .....  
 यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कृतई रुबरु इसरे व हाजिरी  
श्री सुरेश कुमार वंश (पुत्रके) मिनजानिब मुद्दई रुबरु .....

मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि  
चादीशा का वाद पत्र आनिम इसी तर्कित जाता है। मुताबिक वंशवार कर्मा  
रिपोकेशाम गुहाय की खाता सं. 179 नया पुराना 74 से वादी कर्मा  
खसरा नम्बरो से से खसरा सं. 452/3 रकबा 0.30 और ख.न. 491/3 रकबा  
0.25 और ख.न. 633/3 रकबा 0.33 और कुल खसरा सिता-3 योग रकबा  
0.78 और कर्मा श्री चादीशा के हिस्से में हिस्सा बराबर रहेगा।  
खाते से शेष रही कर्मा कुल खसरा सिता-11 योग रकबा 8.62 और  
मे पारिवारिक, शोहनलाल, दुलीचन्द, प्रकाश, पिता नन्दा, अहादीवाई पानी 20 नन्दा

निज मुबलिग बाबत खर्चा इन P.T.D-2  
 मुकदमें के मय सूद बशरह फीसदी सालाना आज की तारीख  
 से तारीख अदायगी तक का अदा करें।  
 सन 26-10-20 माह 20  
 सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 26-10-20 माह 20  
 को जारी की गई।

मुहर उपरखण्ड आदीकारी  
भाखेरी (पुन्दी)  
 दस्तखत  
 ओहदा

मुद्दई	रुपया	पैसे	मुद्दायलह	रुपया	पैसे
1. स्टाम्प अर्जीदावा			1. स्टाम्प अर्जीदावा		
2. स्टाम्प वकालतनामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. स्टाम्प वजह सबूत			3. महन्ताना वकील		
4. महन्ताना वकील			4. खर्चा गवाहॉन		
5. खर्चा गवाहॉन			5. फीस कमिश्नर		
6. फीस कमिश्नर			6. बाबत इजराय हुक्मनामा		
7. बाबत इजराय हुक्मनामा			7. मुत्तफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट :- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

2. पशु आलय धूलिलाल जगह माली निवासी ग्राम गुधय तहसील इन्द्रगढ  
 वनाम वादीगण

2. मोहन आ. मन्दा जगह माली निवासी ग्राम गुधय तहसील इन्द्रगढ (बुन्दी)
3. प्रकाश आ. मन्दा
4. दुर्लभ आ. मन्दा
5. मोडू आ. हील्य जगह माली निवासी गुधय तहसील इन्द्रगढ बुन्दी
6. धनी आ. हील्य
7. कमला पुत्री हील्य
8. सोसर पुत्री हील्य
9. कन्यावाई पुत्री केशय
10. माजीवाई पुत्री केशय
11. कैलाशी पुत्री केशय
12. मनभर पुत्री केशय
13. प्रेम पुत्री केशय
14. मकलाल आ. शेल्या जगह माली निवासी इयय तहसील धीपल्य
15. कमला पुत्री माधो जगह माली निवासी गेरा तहसील धीपल्य
16. रतना आ. हीरा जगह माली निवासी गुधय तहसील इन्द्रगढ बुन्दी
17. किशनगोपाल आ. हीरा जगह माली
18. वैठ आफ बडीच बगवा लकन
19. लडीच नैराधान ग्रामीण वैठ आफ कापरेन
20. राज्य सरकार जमै तहसील दार इन्द्रगढ

धनी  
 उपसण्ड अधिकारी  
 वादीगण (बुन्दी)

उप कोषाधिकारी  
26 MAY 2020  
इन्द्रावत जिला बून्ही (राज०)

नोन पुजिशियल स्टाम्प



67/श्या/16 के साथ संलग्न

(2)

जयाना पुत्री नन्दा प्रत्येकका हिस्सा 3/792 रहेगा। बही, मोडू  
पिंकरान हीला उर्फ देवीराम, कमला बदाय, सोसर पुत्रीया हीला  
उर्फ देवीराम प्रत्येक का हिस्सा 3/132 रहेगा। कस्तुरा पुत्र  
धूम का 3/66 हिस्सा रहेगा। तथा, कन्यावाई, कैलाशी, प्रेम  
मनमर, भागीवाई पुत्रीया केशरा प्रत्येक का हिस्सा 3/110 रहेगा।  
किशनगोपाल हिस्सा 3/44 रहना का हिस्सा 3/44 पिता हीरा  
का रहेगा। एवं कमला पुत्री भाघो का हिस्सा 3/22 मेशराम  
पुत्र मोल्या का हिस्सा 3/22 जम्मावसी रहेगा। रहन  
बादलूने रहेगा।

पुनी

उपखण्ड अधिकारी  
बून्ही (राज०)